

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/12-13

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

107 APR 2013

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिये लोकपाल नियोजन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 07.09.2009 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिये, कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	जन्म तिथि	जिला
1	2	3	4
1	श्री नन्दकिशोर शर्मा, 101/10 सिविल लाइन्स, सावित्री कॉलेज के सामने, अजमेर	10.10.1951	अजमेर
2	श्री ख्याली राम मीणा बी-220 शिव ऑफिसर्स कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर	15.07.1950	अलवर
3	श्री मांगीलाल गौड़ - 223-ए, पुरानी भगत की कोठी, जोधपुर	29.06.1949	बाड़मेर
4	डॉ० श्रीमती शुक्लाबाला पुरोहित सी-17, सादूलगंज, मेडिकल कॉलेज के सामने, बीकानेर 334003	29.06.1950	बीकानेर
5	श्री इन्द्रराज सिंह पूनियाँ बी-37, सैनिक बस्ती, सेक्टर - 4, सर्किट हाउस के पास, भालेरो रोड़ चूरु	17.09.1951	चूरु
6	श्री हनुमान सिंह ग्राम/पोस्ट कोदेसर जिला झुन्झुनू - 331027	06.06.1950	श्रीगंगानगर
7	श्री आर.के. रावत प्लाट नं. 51, महादेव नगर II, स्वेज फार्म, सोड़ाला, जयपुर-19	17.08.1950	दौसा
8	श्री कर्नल अचलाराम पंवार, पोस्ट - पदरोड़ा, तहसील - पोकरण जिला जैसलमेर	08.09.1953	जैसलमेर
9	श्री ख्यालीलाल सिसोदिया 54, आनंद नगर, आयड पुलिया के पास, उदयपुर	15.12.1950	राजसमंद
10	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा 194, क्यू रोड़, भूपालपुरा, उदयपुर 313001	05.01.1951	उदयपुर
11	श्री सुरेश चन्द्र व्यास 837, हिरण मगरी, सेक्टर - 4, पुजा नगर, उदयपुर (राज) 313002	02.09.1951	चित्तौड़गढ़

उपरोक्त नियुक्तियाँ 2 वर्ष की अवधि के लिये, जो आगे एक वर्ष तक, प्रदर्शन के मुल्यांकन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है अथवा 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये की जाती है।

